रजिस्ट्री सं. डी एल 33001/2000

REGISTERED No. DL—33001/2000

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
9/2/2001
GOVERNMENT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 2000 (पौष 2, 1922)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 2000 (PAUSA 2, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV
[PART IV]

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं

[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/ PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Controller of Publication

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as CHHAYA DEVI W/o SH. NARESH KUMAR, residing at the E-205, Shastri Nagar, Delhi-110052, have changed my name and shall hereinafter be known as MRS. RASHMI DEVI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHHAYA DEVI
[Signature (in existing old name)]

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

एक्सचेंज के उप–नियमों के अध्याय-XI, XII और XIII में विहित उपबंध यहां नीचे दी गई सीमा तक संशोधित किए जाते हैं :—

1. एक्सचेंज के उप–नियम के अध्याय-XI के उप–नियमों (1क) के रूप में निम्नलिखित नए उप–नियम प्रविष्ट किए जाते हैं :

उद्धृत

"(1ख) व्यापारिक सदस्यों के बीच परस्पर व्यापारिक सदस्यों और संघटकों, चाहे वे भाग लेने वालों के रूप में पंजीकृत हो या नहीं, संघटकों के बीच परस्पर, चाहे वे भाग लेने वालों के रूप में पंजीकृत हो या नहीं, के बीच एक्सचेंज के थोक ऋण बाजार व्यापारिक खंड पर निष्पादित अथवा संसूचित और एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन अथवा उसके प्रासंगिक किसी बात के संदर्भ में अथवा उसके अनुसरण में कार्यवाहियों, संविदाओं और लेन–देनों अथवा उनकी वैधता, संरचना, व्याख्या, पूर्ति अथवा

उसकी पार्टियों के अधिकार, दायित्व और देयताओं तथा ऐसे प्रश्न सहित कि क्या ऐसी कार्यवाईयां, लेन-देन और संविदाओं पर करार किया गया था नहीं, से उत्पन्न सभी दावे, मतभेद अथवा विवाद इन उप–नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार विवाचन को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

बशर्ते कि यह उप–नियम किसी भी प्रकार व्यापारिक सदस्य, जिसके माध्यम से ऐसे भाग लेने वाले ने कार्यवाही की है अथवा व्यापार किया है, के संबंध में एक्सचेंज के क्षेत्राधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसा व्यापारिक सदस्य इसके लिए एक्सचेंज के प्रति उत्तरदायी, योग्य और जिम्मेदार बना रहेगा ।"

अनुद्धृत

2. एक्सचेंज के उप–नियम के अध्याय– XI के मौजूदा उप–नियम (1ख) को उप–नियम (1ग) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाता है और पहली पंक्ति में आने वाले निम्नलिखित शब्द "उप–नियम (1) और (1क)" को पुनसंख्यांकित उप-नियम (1ग) में "उप–नियम (1); (1क) और (1ख)" से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3. एक्सचेंज के उप–नियम के अध्याय–XI के उप-नियम 3 की छठी पंक्ति में आने वाले शब्द "खण्ड (1)" को शब्द "उप–नियम (1), (1क) और (1ख)" से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

4. एक्सचेंज के उप–नियम के अध्याय–XII के उप–नियम 23 के मौजूद खण्ड (ड) को हटा दिया जाता है ।

5. एक्सचेंज के उप–नियम के अध्याय–X:I में निम्नलिखित नए उप–नियम को उप–नियम (31) के रूप में प्रविष्ट किया जाता है :

उद्धृत

"(31) इस अध्याय के कुछ भी विपरीत विहित होते हुए भी, जहां किसी चूककर्ता के विरुद्ध हस्ताक्षर में भिन्नता होने अथवा अन्यथा उत्पन्न होने वाली कंपनी की किसी आपत्ति को सुधारने के लिए कोई प्रतिभूति दाखिल की जाती है, वहां एक्सचेंज अथवा नेशनल सिक्यूरिटीज क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (क्लियरिंग कारपोरेशन), प्राप्तकर्ता सदस्य के ग्राहकों की विधमानीयता के बारे में स्वयं संतुष्टि करने के बाद प्राप्तकर्ता सदस्य/प्राप्तकर्ता सदस्य के ग्राहक के लाभ के लिए अथवा विश्वास से स्वयं अपने नाम में प्रतिभूतियां अधिग्रहित करेगा । एक्सचेंज/क्लियरिंग कारपोरेशन जैसा वह निर्धारित करे, ऐसे प्रभारों के भुगतान पर इस प्रकार अधिग्रहित प्रतिभूतियों की बिक्री अथवा निपटान कर सकता है अथवा प्राप्तकर्ता सदस्य/प्राप्तकर्ता सदस्य के ग्राहक के दावे के पूर्ण और अंतिम पूर्ति में प्रतिभूतियों को अंतरित कर सकता है, बशर्ते कि एक्सचेंज/क्लियरिंग कारपोरेशन ऐसे प्राप्तकर्ता सदस्य/प्राप्तकर्ता सदस्य के ग्राहक से ऐसे रूप और तरीके से, जिसे वह पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित करे एक्सचेंज और क्लियरिंग कारपोरेशन को क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा करने के लिए स्वतंत्र होगा । आगे बशर्ते कि बिक्री से प्राप्त आय का ऐसा भुगतान अथवा प्राप्तकर्ता सदस्य/प्राप्तकर्ता सदस्य के ग्राहक को प्रतिभूतियों का अंतरण दावे का पूर्णतः निपटान करेगा और चूककर्ता के विरुद्ध चाहे किसी भी आधार पर कोई दावा नहीं होगा ।"

अनुद्धृत :

6. एक्सचेंज के उप–नियम के अध्याय–XIII का उप–नियम 9 के निम्नानुसार संशोधित किया जाता है ।

उद्धृत :

"निवेशक संरक्षण निधि प्रत्येक व्यापारिक सदस्य का अंशदान ऐसी राशि होगी जिसे समय–समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जाए और संगत प्राधिकारी को ऐसे अतिरिक्त अंशदान, जिसकी अपेक्षा समय–समय पर निवेशक संरक्षण निधि में कमी, अगर कोई हो, की पूर्ति के लिए हो, संगत प्राधिकारी के निर्देश पर मांगने का अधिकार दिया जाएगा ।"

अनुद्धृत :

7. एक्सचेंज के उप-नियमों के अध्याय–XIII के उप-नियमों 10, 11 और 12 को हटा दिया जाता है और मौजूदा उप–नियम 13 और 14 की क्रमशः उप–नियम 10 और 11 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाता है ।

कृते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड

जे० रविचन्द्रम
कंपनी सचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

The provisions contained in Chapters XI, XII & XIII of the Byelaws of the Exchange are amended to the extent given hereunder :—

1. The following new Byelaw is inserted as Byelaw (1B) of Chapter XI of the Byelaws of the Exchange :

QUOTE

"(1B) All claims, differences or disputes between the Trading Members inter se Trading Members and Constituents, whether or not registered as Participants, Constituents inter se, whether or not registered as Participants, arising out of or in relation to dealings, contracts and transactoins executed or reported on the Wholesale Debt Market Trading Segment of the Exchange and made subject to the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their validity, construction, interpretation, fulfillment or the rights, obligations and liabilities of the parties thereto and including any question of whether such dealings, transactions and contracts have been entered into or not shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of these Byelaws and Regulations;

Provided this Bye law shall not in any way affect the jurisdiction of the Exchange on the Trading Member, through whom such a Participant has dealt with or traded, in regard thereto and such Trading Member shall continue to remain responsible, accountable and liable to the Exchange in this behalf".

UNQUOTE

2. The existing Byelaw (1B) of Chapter XI of the Byelaws of the Exchange is renumbered as Byelaw (1C) and the following words "Byelaws (1) and (1A)" appearing on the first line are replaced with "Byelaws (1), (1A) and (1B)" in the renumbered Byelaw (1C).

3. The words "clause (1)" appearing on the sixth line of Byelaw 3 of Chapter XI of the Byelaws of the Exchange are replaced with the words "Bvelaws (1), (1A) and (1B)".

4. The existing clause (e) of Byelaw 23 of Chapter XII of the Byelaws of the Exchange is deleted.

5. The following new Byelaw is inserted as Byelaw (31) in Chapter XII of the Byelaws of the Exchange :

QUOTE

"(31) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Chapter, where any securities are lodged for rectification of company objection arising out of signature difference or otherwise against a defaulter, the Exchange or National Securities Clearing Corporation Limited (Clearing Corporation) shall, after satisfying itself about the bonafides of the receiving member/client of the receiving member, acquire the securities in its own name for the benefit of or in trust for the receiving member/client of the receiving member. The Exchange/Clearing Corporation may upon payment of such charges as it may prescribe, sell or otherwise dispose of the securities so acquired or transfer the securities to the receiving member/client of the receiving member, in full and final satisfaction of the claim; Provided that the Exchange/Clearing Corporation shall be free to requre such receiving member/client of the receiving member to indemnify the Exchange and Clearing Corporation in such from and manner as it may prescribe, as a condition precedent; Provided further that such payment of sale proceeds or transfer of securities to the receiving member/client of the receiving member shall discharge the claim completely and no further claim shall lie against the defaulter on any ground whatsoever".

UNQUOTE

6.Byelaw 9 of Chapter XIII of the Byelaws of the Exchange is amended as under :

QUOTE

"The contribution of each trading member to the Investor Protection Fund shall be such an amount as may be determined by the relevant authority from time to time and the relevant authority shall further be empowered to call for such additional contributions as may be required from time to time to make up for the shortfall, if any, in the Investor Protection Fund, at the discretion of the relevant authority".

UNQUOTE

7. Byelaws 10, 11 and 12 of Chapter XIII of the Byelaws of the Exchange are deleted and the existing Byelaws 13 & 14 are re-numbered as Byelaws 10 & 11 respectively.

For National Stock Exchange of India Limited

J. RAVICHANDRAN
Company Secretary &
Sr. Vice President

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
PU SHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000